**International Journal of Humanities and Social Science Research**
**ISSN: 2455-2070; Impact Factor: RJIF 5.22**
**Received: 16-06-2020; Accepted: 01-07-2020; Published: 17-07-2020**
**www.socialsciencejournal.in**
**Volume 6; Issue 4; 2020; Page No. 24-25**

# औपनिवेशिक बिहार में सहकारिता आन्दोलनः एक विश्लेषण

**पूनम राजलक्ष्मी**
शोधार्थी (इतिहास विभाग) मगध विश्वविद्यालय, बोध गया, बिहार, भारत

**सारांश**
औपनिवेशिक काल से ही सहकारिता आंदोलन का दौर चल रहा है। आज यह आंदोलन विराट रूप ले लिया है और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस आंदोलन ने पूरे देश के साथ–साथ बिहार को भी आर्थिक रूप से समृद्ध किया है। साथ ही इससे देश में बेरोजगारी की समस्या पर भी बहुत हद तक लगाम लग सका है। ऐसे में इस आंदोलन से बिहार कैसे वंचित रह सकता है। कालखंड एवं परिस्थिति का प्रतिकूल प्रभाव यहाँ के आम लोगों पर पड़ना लाजमी है। एक अनुमान के अनुसार पूरे देश में करीब 5 लाख से भी अधिक सहकारी समितियाँ सक्रिय हैं, जिनमें करोड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये समितियाँ समाजिक जीवन के अनेक क्षेत्रों में काम कर रही हैं। खासतौर से कृषि, उर्वरक और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में इनकी भागीदारी सर्वाधिक है। अब तो बैंकिंग क्षेत्रों में भी सहकारी समितियाँ काम कर रही हैं।

**मूल शब्दः** औपनिवेशिक, सहकारिता आंदोलन, समितियाँ, मॉडल योजनां

## प्रस्तावना

औपनिवेशिक हुकूमत के समय पूरे देश के साथ विभिन्न राज्यों के स्तर पर सहकारिता आंदोलन के उद्भव एवं विकास से संबंधित पहलुओं का कई विद्वानों द्वारा अध्ययन किया गया है। सहकारिता आन्दोलन के संदर्भ में पूर्व राष्ट्रपति वी. वी. गिरि का वह मंतव्य महत्वपूर्ण है जिसमें उन्होंने कहा है ''सहकारिता आन्दोलन हमारे विकास प्रयासों में आत्मनिर्भरता की ओर एक रचनात्मक कदम है।'' आजादी के बीते हुए छः दशकों के पश्चात् विभिन्न स्तरों पर सार्वजनिक कार्यों के निष्पादन हेतु सरकारी तंत्रों का विगत वर्षों में भरपूर विकास हुआ है। परंतु इसके विपरीत आज सरकारी तथा गैर–सरकारी स्तरों पर यह बात सर्वमान्य है कि बिना लोगों की सहभागिता के केवल सरकारी व्यवस्था से हमारे सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास के लक्ष्य पूरे नहीं हो सकते। अतः सहकारिता आन्दोलन की आवश्यकता आज भी प्रासंगिक है। बिहार के संदर्भ में भी सहकारिता आन्दोलन से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन विद्वानों ने पूर्व में भी किया है। इस दिशा में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र के कार्य भी उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने बिहार में सहकारिता बैंकिंग पर मुख्य रूप से ध्यान देते हुए इसके विकास को रेखांकित किया है। इसी दिशा में अन्य विद्वानों के रूप में लियॉन द्वारा किए गए कार्य ग्रामीण स्तरों पर सहकारिता आन्दोलन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

सहकारिता का शाब्दिक अर्थ होता है – मिल–जुलकर काम करना अथवा एक–दूसरे की सहभागिता। वस्तुतः यह सामाजिक जीवन का एक ठोस आधार है। दुःख और सुख में एक–जुट रहना, एक–दूसरे की मदद करना तथा एक–दूसरे के साथ मिल–जुलकर काम करना ही सहकारी जीवन है। देखा जाय तो आधुनिक सभ्यता का इतिहास सहकारिता का इतिहास है, क्योंकि बिना इसके सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति असंभव है। विख्यात इतिहासकार एच. जी. बेल्स के शब्दों में प्रकृति सहभागिता का एक महान मित्र है। सहकारिता की चर्चा भारतवर्ष के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में भी की गयी है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है कि समस्त भारतवर्ष में एवं विशेषकर बिहार में सहकारी जीवन एवं इससे जुड़ती हुई बातें विद्यमान थी। यह बात इसी वस्तु से स्पष्ट हो जाती है जब कौटिल्य ने ग्रामीण जीवन में सशक्त सहकारिता के लिए नियमों को प्रतिपादित किया क्योंकि ग्रामीण जीवन में सामाजिक सहकारिता एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है।1 अर्थशास्त्र से ही हमें यह भी ज्ञात होता है कि ग्रामीण सहकारिता के नियमों का पालन सार्वजनिक उपयोग की क्षेत्रों में, जैसे–मंदिरों का निर्माण, सार्वजनिक सभास्थल तथा बाँधों को बनाने के क्षेत्र में किया जाता था। संकट की घड़ी में कृषकों की ऋण तथा अनाज दिए जाते थे तथा कृषि कार्य के लिए वृहद् अनुदान अकाल के समय ऋण तथा अग्रिम धन प्रदान किए जाते थे।2

आधुनिक युग में सहकारिता आंदोलन हमें औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप में देखने को मिलती है। भूखे चालिस की स्थापना रॉच डेनल ने की थी।3 इसकी स्थापना आयरलैंड में आलू उत्पादन में असफलता तथा महान् दुर्भिक्ष के पश्चात् की गयी थी। वस्तुतः आधुनिक विश्व में यह प्रथम सरकारी सहकारी समितियाँ थीं।4 भारतवर्ष में इस आन्दोलन की शुरुआत मुख्य रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग तथा कृषकों के संदर्भ में की गयी थी। जो कर्ज के भारी बोझों से दबे थे। ऐसा कहा गया है 'अधिकांश कृषक कर्ज में ही पैदा हुए, कर्ज ही में जीवित रहे तथा कर्ज ही में उनकी मृत्यु हुई'। 1883 ई. के लैण्ड इम्प्रुवमेंट एक्ट के द्वारा उन्हें सहायता पहुँचाने की कोशिश तो हुई, पर इसके परिणाम बहुत ही निराशाजनक रहे। इसी संदर्भ में 1901 का फेमिन कमीशन सहकारिता की चर्चा करता है।

बिहार में सहकारिता आन्दोलन की चर्चा के पूर्व हम भारत में अनेक प्रदेशों में इस आंदोलन पर एक दृष्टिपात करेंगे। यथा मद्रास सरकार ने 1882 में जर्मनी में भूमि एवं कृषि बैंकों की कार्यशैली के अध्ययन के लिए निकोलसन को भेजा, जिसने 1897 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। 1884 ई. में बम्बई में प्रथम कृषि बैंकों की स्थापना हुई। 1900 ई. के बाद भारत सरकार ने सर एडवर्ड के नेतृत्व में एक कमिटि का गठन किया जिसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय परिप्रेक्ष्य में सहकारिता की दशा का अवलोकन करना। एडवर्ड ने शहरी एवं ग्रामीण समितियों का एक मॉडल योजना पेश की। 1904 में भारतवर्ष में सहकारिता आंदोलन का एक मॉडल प्रस्तुत किया। 1904 ही में एक एक्ट को इस दिशा में पास किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य था निर्धनों को सहकारिता के माध्यम से आर्थिक मदद पहुँचाना। यह एक्ट को–ऑपरेटिव

क्रेडिट सोसाइटी एक्ट के नाम से जाना जाता है। यह बात अलग है कि 1904 का यह एक्ट भी बढ़ती जरूरतों के संदर्भ में परिपूर्ण नहीं था। 1904 के एक्ट की कमियों को 1912 में एक दूसरे एक्ट के द्वारा दूर करने की कोशिश की गयी।

जहाँ तक बिहार का प्रश्न है, इस प्रांत में को–ऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1904 के पूर्व भी सहकारिता आन्दोलन में रूचि दिखाई पड़ती है। 1902 में पूर्णिया में लियॉन ने सहकारिता आन्दोलन को प्रारंभ किया, तत्पश्चात् महाराज दरभंगा तथा महाराज हथुआ ने अपने क्षेत्रों में इस आन्दोलन को प्रोत्साहित किया।5 1906 में 15 समीतियाँ बिहार तथा उड़ीसा में निबंधित हुई। 1906 में इनकी संख्या बढ़कर जहाँ 75 हुई वहीं 1907 में 91 और समीतियों को निबंधित किया गया जिनमें कुछ का कार्यकाल अल्प–अवधि के लिए था। 1912 तक आते–आते समितियों की संख्या 508 तक पहुँच गयी थी। आठ केन्द्रिय बैंकिंग यूनियन तथा समितियाँ थीं और इन समितियों के सदस्यों की कुल संख्या 26.759 थी। 1910 में पुराने बंगाल प्रांत के नवादा में पहला सेन्ट्रल बैंक प्रारंभ हुआ। राज्य सरकार की यह नीति रही कि सरकारी एजेन्सियों को पीछे रखकर समितियों को प्रोत्साहित किया जाय तथा सहकारिता आन्दोलन की गति को बढ़ाया जाय जिनमें उत्साहित सदस्यों की संख्या अधिक हो। 1912 के एक्ट में संशोधन के पश्चात् ऋण न देनेवाली समितियों तथा एक नये रूप की केन्द्रीय संस्थानों को आरंभ करने की योजना शुरू हुई।6 1921 और 1931 के बीच बिहार में सहकारी समितियों की संख्या में असीम वृद्धि हुई तथा 1922 में सरकार ने एक समिति की स्थापना कर सहकारी समितियों की आर्थिक अवस्था को अध्ययन करने का निर्देश दिया। इस समिति ने संतोषप्रद कार्यों का उल्लेख करते हुए सरकार को अपनी रिपोर्ट लिखी।

1925 में लियॉन के नेतृत्व में एक दूसरी समिति का गठन किया गया जिसने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि जिस रफ्तार से सहकारी आन्दोलन का प्रसार हो रहा है, उस तरह से इनकी संख्या 1921 से लेकर 1933 तक 23,000 तक हो जाने की संभावना है। लेकिन शीघ्र ही यह अनुभव किया गया कि न तो सहकारी आंदोलन के साथ सब कुछ ठीक से चल पा रहा है, और ना ही ऋण वसूली का कार्य। इस बात की पुष्टि हमें प्रांतीय सरकार के उस वार्षिक प्रतिवेदन की समीक्षा से होती है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऋण वसूली का प्रतिशत घट रहा है तथा इस बात पर प्रांतीय सरकार ने घोर चिंता व्यक्त की है। सहकारिता आन्दोलन का प्रसार सामान्य आर्थिक संपन्नता के फलस्वरूप बिहार प्रांत में 1920 और 28 के बीच हुई। बिहार और उड़ीसा सेंसस ऑपरेशन के अधीक्षक ने 1931 में इस बात की अपने भाषण के दौरान बतायी सहकारी आन्दोलन बिहार में निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा था तथा सामान्य लोगों के बीच अपने पैर को फैला रहा था। कॉंग्रेस के प्रथम मंत्रिमंडल के कार्यकाल (1937–1939) के दौरान सहकारिता आन्दोलन के विकास पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया।7 यद्यपि सहकारिता आन्दोलन का विषय अर्थशास्त्रियों तथा इतिहासकारों के बीच विवाद का विषय रहा है, परन्तु दुर्भाग्य से किसी ने भी इस महत्वपूर्ण विषय पर तथ्यपरक, गहराई एवं स्वतंत्र रूप से चिंतन नहीं किया। फलस्वरूप आजादी से पूर्व हमारी जानकारी सहकारिता आन्दोलन के विषय में अपूर्ण है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद धीरे–धीरे यह विषय अपनी ओर न केवल अर्थशास्त्रियों की वरन् इतिहासकारों का भी ध्यान आकृष्ट कर रही है। जितने भी आलेख तथा पुस्तकें अभी तक आयी हैं उनमें इस आंदोलन की असफलता को रेखांकित करने में असफल रहे हैं। यह एक अनछुए पहलू हैं जिसे दूर करना प्रासंगिक होगा।8

## निष्कर्ष

इस प्रकार निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि औपनिवेशिक हुकूमत के समय बिहार में सहकारिता की गति धीमी थी। जब सहकारिता आंदोलन का दौर चला, तब बिहार की सरकार ने भी इस आंदोलन में अभिरूचि दिखाई। सच कहा जाय तो यह आंदोलन आत्मनिर्भरता की ओर एक रचनात्मक कदम था। इसी सोच को ध्यान में रखकर आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी भी बल दे रहे हैं कि हमारे देश के युवा वर्ग और किसान सरकारी बैंकों और पैक्सों एवं व्यापार मंडल से मदद लेकर स्वावलंबी बन सकें। इस ओर बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार भी हाशिये पर बैठे लोगों की आवश्यकताओं एवं हितों को ध्यान में रखते हुए समाज को संगठित एवं सक्रिय कर लाभप्रद आर्थिक गतिविधियों को अपनाने के लिए द्वितीय हरित क्रांति एवं राज्य के कृषि रोड मैप वर्ष (2017–22) में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका निर्धारित की है। सहकारिता के माध्यम से मत्स्य पालन, बुनकर, मधुमक्खी पालन, बकरी पालन, कुक्कुट पालन, कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र में सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी जा रही है।

साथ ही सरकार ने सामाजिक एवं आर्थिक परिवेश में सहकारिता को आधुनिक एवं तकनीकी रूप से सक्षम बनाने पर जोर दे रही है ताकि प्रतिस्पर्द्धात्मक तरीके से अर्थव्यवस्था में सहकारिता आंदोलन की चुनौतियों का सामना कर सकें।

## संदर्भ सूची


1. चौधरी, राधाकृष्ण : 'कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संक्षिप्त अध्ययन', पटना, पृ.–45
2. पूर्वोक्त, पृ.–26
3. कोल, जी. डी. एच. : 'ए सेन्चुरी ऑफ कॉपरेशन', पृ.–1–2
4. थापर, बी. एस. : 'भारतवर्ष में सहकारिता', दिल्ली, 1995, पृ. –66
5. झा, एन. के. : 'कॉपरेटिव क्राइसिस इन बिहार', पटना, 1990, पृ.–10
6. पूर्वोक्त, पृ.–10
7. शर्मा, एस. पी. : 'सम ग्लिम्पसेस ऑन दी कॉपरेटिव मूवमेन्ट इन इण्डिया', 1904–1929, इन जर्नल ऑफ बिहार इतिहास परिषद्, पृ.–371
8. पूर्वोक्त, पृ.–371–72